न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

रतनलाल बनाम गोकल
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट
वाद संख्या– 02 / 36 / 2022

28.02.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 हाल खाता संख्या 556 आराजी खसरा संख्या 3816 / 0.34, 3817 / 0.15 वाके ग्राम तालाब तहसील टहला से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा न करें, ना ही उक्त आराजी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में प्रार्थीगण के साथ व्यवधान उत्पन्न करें, ना ही उक्त आराजी को दीगर शख्सों को रहन–बय, हिबा आदि किसी भी प्रकार से मुंतकिली कर मुंतकिली का दस्तावेज अप्रार्थी संख्या 9 से पंजीबद्व करावें न ही अप्रार्थी संख्या 9 उक्त आराजी से संबंधित किसी भी मुंतकिली के दस्तावेज को पंजीबद्व करें एवं उक्त आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत बनाये रखे। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 13.04.2022 तक पाबन्द किया जाता है अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखने बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 13.04.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ (अलवर)

13/4/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25/5/22 को पेश हो।

रीडर

25/5/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20-7-22 को पेश हो।

रीडर

20/7/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28-9-22 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त... जो इस हु... में ज...
	....अभिभाषक हड़ताल से कार्य स्थगित किया है। दिनांक [illegible] को पेश हो S.D.O. 07/01/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई बाद गौर बहस व प्रार्थना पत्र अन्तरिम आदेश दिनांक 28.02.2022 पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ सलग्न हो। sd/ SDO	